न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–373/18 (आरसीएमएस नं. 2018/00342)

1. भरत दत्तक पुत्र स्व. गोपाल प्राकृतिक पिता गजानन्द, जाति ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम फतेहपुरा बास वाटिका, तहसील चाकसू जिला जयपुर हाल निवासी पाईप लाईन रोड़ ए के नगर सावेडी एरिया अहमदनगर जिला अहमद नगर महारास्ट्र।

——अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार चाकसू, तहसील चाकसू जिला जयपुर।
2. भंवर,
3. गणेश,
4. हनुमान पुत्रान लक्ष्मीनारायण शर्मा एवं गीतादेवी जाति ब्राहाम्ण निवासी कठमाना, तहसील पीपलू जिला टोंक, राजस्थान।
5. रामचन्द्र उर्फ सत्यनारयण पुत्र स्व. नाथू, जाति ब्राहाम्ण,
6. बद्री पुत्र नाथू, जाति ब्राहाम्ण,
7. छीतर उर्फ मोहन पुत्र नाथू जाति ब्राहाम्ण,
8. रामू उर्फ रामजीलाल पुत्र नाथू जाति ब्राहाम्ण निवासी बढवालों की ढाणी, ग्राम फतेहपुरा, तहसील चाकसू जिला जयपुर।
09. रूकमणी पत्नी नाथू, जाति ब्राहाम्ण निवासी गढवालों की ढाणी ग्राम फतेहपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर।
10. विमला पुत्री नाथू पत्नी छीतरमल, जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम बौसला, तहसील चाकसू जिला जयपुर।
11. गंगा पुत्री रामकरण पत्नी स्व. राधेश्याम जाति ब्राहाम्ण निवासी प्रहलादपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
12. शांति पुत्री रामकरण पत्नी गोपाल, जाति ब्राहाम्ण निवासी कठमाना तहसील पीपलू, जिला टोंक राजस्थान।
13. मीरा पुत्री रामकरण पत्नी रमेश, जाति ब्राहाम्ण हाल निवासी छींपों का मंदिर चौथा चौराहा जाट के कुऐ का रास्ता चांदपोल बाजार, जयपुर।
14. गायत्री पुत्री गजानन्द पत्नी द्वारका प्रसाद शर्मा, जाति ब्रहाम्ण निवासी टूटे गली, माजे गांव कैम्प कालेगांव जिला नासिक महाराष्ट्र।
15. सावित्री पुत्री गजानन्द पत्नी राजकुमार शर्मा, जाति ब्राहाम्ण निवासी राधाकृष्णा गली आर के केबल मुकाम पाचौरा जिला जलगांव महाराष्ट्र।

——रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 05.08.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय तहसीलदार चाकसू जिला जयपुर के आदेश दिनांक 08.06.2018 (प्रकरण संख्या 21/2018) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि ग्राम फतेहपुरा बास वाटिका, तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 111 कुल किता 35 कुल रकबा 6.38

संभागीय आयुक्त जयपुर

P.T.O.

हैक्टयर पर रामकरण, गजानन्द गोपाल पि0 कल्याण हिस्सा 1/3, रामकिशोर लालचन्द, रामवतार, राजू पि0 मदन हिस्सा 1/3, रामकिशोर पुत्र मदन हिस्सा 1/6, गजानन्द पुत्र कल्याण हिस्सा 1/6 जाति ब्राहाम्ण साकिन देह राजस्व रिकार्ड में अंकन है, गोपाल पुत्र कल्या का स्वर्गवास दिनांक 13.10. 2000 को हो जाने से उसकी विरासत का नामान्तरकरण का विवाद है, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 15 विशेषकर रेस्पोडेन्ट संख्या 5 लगायत 10 येनकेन प्रकारेण गोपाल की सम्पत्ति को हड़पने के लिऐ झूंठे वारिस प्रमाण पत्र, झूँठे दावे आदि करते रहे है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विरासती नामान्तरकण अपने नाम खोलने का प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिसमें मार्च 2018 तक कोई कार्यवाही नही की गई, मार्च 2018 मे तथाकथित वारिसान की सम्यक रूप से तलबी नही की गई, ना उन्हे सुना गया, पटवारी हल्का से गलत रिपोर्ट पेश करवायी गई तथा विधि विरूद्ध निर्णय पारित करे वास्तविक वारिसान को उनके हक अधिकारों से वंचित कर दिया गया है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सजरा खानदान में वर्णित वारिसान की जॉच कानूनी प्रावधानों के अनुसार नही करवायी गई तथा बिना तलबी प्रक्रिया अपनाये ही गलत निर्णय पारित कर दिया गया है, कई वारिसान जो जहॉ जिस स्थान पर निवास करते है वहॉ उस स्थान के जानबूझकर सम्मन जारी ही नही किये गये, जैसा कि रामकरण की लड़की लाली व गजानन्द के पुत्र संजय के वारिसान को एवं गीता की पुत्रीया, लादी, मन्नी, छोटा को तो पक्षकार ही नही बनाया गया, भॅवर, गणेश, हनुमान, छीतर आदि कि निवास पर नोटिस ही जारी नही किये तथा गंगा, शान्ति, मीरा गायत्री, सावित्री का सही पता नही दर्शाया गया एवं गलत पते पर नोटिस जारी कर आसामी के नही मिलने पर एक फर्जी गवाह के समक्ष चस्पानगी की रिपोर्ट करवा दी गयी जिस तामील को मानने में अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी अज्ञानता का परिचय दिया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है प्रश्नगत भूमि के पूर्व खातेदार लादूराम जी के तीन लड़के कल्याण, मदन, रामस्वरूप थे, जिनमें से रामस्वरूप अविवाहित ही फौत हो गया था, जिसके हिस्सा 1/3 को रामकिशोर पुत्र मदन ने जरिये विक्रय पत्र द्वारा क्रय राशि का भुगतान कर खरीद लिया था तथा मदन के हक हिस्सों का कोई विवाद नही है तथा कल्याण के चार पुत्र रामकरण, गजानन्द, नाथूलाल व गोपाल हुऐ नाथूलाल ग्राम हीरावाला में श्योनाथ उर्फ विश्वनाथ पुत्र गंगाराम ब्राहाम्ण के गोद चला गया तथा श्योनाथ की हकदारी प्राप्त कर ली थी जिसकी विरासत का नामान्तरकण संख्या 31 दिनांक 14.11.1978 ग्राम बालावाला स्थित भूमि का तस्दीक किया गया, उसके अतिरिक्त नामान्तरकरण संख्या 2 ग्राम फतेहपुरा कल्याण पुत्र लादू की विरासत का है, जिसमें नाथू के गोद चले जाने से नाम हटाया गया था तथा रामकरण, गजानन्द व गोपाल पि0 कल्याण के नाम ही विरासती नामान्तरकरण प्रश्नगत भूमि का तस्दीक किया गया, इस प्रकार

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 व 12 के अनुसार गोपाल की विरासत में नाथू दत्तक पुत्र श्योनाथ के वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 5 लगायत 10 का कोई हक अधिकार शेष नही रहता है, गोपाल का निधन होने पर समस्त हक केवल अपीलान्ट का है, इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.06.2018 शून्य व अवैध है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि गोपाल उर्फ रामगोपाल पुत्र कल्याण अपने रोजगार के लिऐ अहमदनगर में रहता था, दीवानी न्यायालय जिला न्यायाधीश अहमदनगर में दायर मुकदमा संख्या 424/2005 भरत बनाम रामगोपाल निर्णय दिनांक 19.08.2008 के अनुसार अपीलान्ट भरत को स्व. गोपाल का दत्तक पुत्र घोषित किया गया है जिससे गोपाल की समस्त सम्पत्ति का हकदार एवं स्वामी केवल भरत अपीलान्ट को ही माना गया, इस प्रकार गोपाल पुत्र कल्याण की सम्पत्ति का वारिस अपीलान्ट भरत ही है, इस तथ्य की जॉच भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नही की गई जिससे निर्णय दिनांक 08.06.2018 काबिले शून्य व अवैध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 13.09.2018 को गणेश चतुर्थी के त्यौहार पर अपने भाई–बन्धों से मिलने गांव आया तो अपीलान्ट को पता लगा कि स्व0 गोपाल की सम्पत्ति का विरासत का नामान्तरकरण का फैसला रामचन्द्र उर्फ सत्यनारायण पुत्र नाथू ने गलत करवा लिया तब अपीलान्ट ने दिनांक 16.09.2018 को पटवारी हल्का से मिलकर जानकारी प्राप्त की तथा अपने वकील से राय–मशविरा कर दिनांक 17.09.2018 को अपने रिश्तेदार रामावतार के जरिये नकल प्रार्थना पत्र बाबत निर्णय दिनांक 08.06.2018 की एवं समस्त पत्रावली संख्या 21/2018 की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए पेश किया तथा दिनांक 03.10.2018 को निर्णय एवं पत्रावली की नकल प्राप्त होने पर ज्ञात हुआ कि रामचन्द्र व उसके भाईयों ने गलत हथकण्डे अपनाकर निर्णय करवाया है जबकि उनका गोपाल की सम्पत्ति से कोई लेना–देना नही है, अपीलान्ट ने अपने अधिवक्ता से राय मशविरा करके अपील जानकारी से अन्दर मियाद न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश की गई तथा विलम्ब के सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अपील के साथ अलग से पेश किया गया है, जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चाकसू के निर्णय दिनांक 08.06.2018 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट के नाम मृतक गोपाल का विरासत नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 5 लगायत 8 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 13 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि जिस आदेश के सम्बन्ध में अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष दायर की गई है उस आदेश की पालना पूर्व में ही हो गई है और नामान्तरकरण संख्या 621 दिनांक 15.10.2018 द्वारा गोपाल के वारिसान के नाम नामान्तरकरण खोला जा चुका है

संभागीय आयुक्त
जयपुर

इसलिये अपील पोषणीय नही है, और अपील सारहीन हो गई है जिसकी जानकारी अपीलार्थी व उसके अधिवक्ता को भी रही है, उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थी भरज की ओर से मिथ्या और बनावटी आधारों पर अपील प्रस्तुत की गई, अपीलार्थी भरत ने स्वयं को दत्तक पुत्र गोपाल उल्लेखित किया गया है जबकि इस सम्बन्ध में दत्तक पुत्र होने बाबत कोई साक्ष्य, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किया गया है, भरत गोपाल का दत्तक पुत्र नही है बल्कि केवल उक्त अपील प्रस्तुत करने के लिए दत्तक पुत्र गोपाल का उल्लेख करते हुऐ अपील प्रस्तुत की गई, आपीलार्थी की ओर से स्वयं को गोपाल का दत्तक पुत्र होने के सम्बन्ध में केवल एक दस्तावेजात महाराष्ट्र न्यायालय के आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई है जो इस प्रकरण में लागू नही हो सकती और उक्त आदेश फर्जी एवं कूटरचित तरीके से प्राप्त किया गया है और माननीय उच्चतम न्यायालय में विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जो आदेश अविधिक रूप से प्राप्त किया गया हो वह किसी न्यायालय में बाध्यकारी नही होता है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि भरत द्वारा जो आदेश प्राप्त किया गया है उस आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त केस में केवल पेडूबाई नामक महिला को ही पक्षकार बनाया गया है किसी अन्य व्यक्ति को पक्षकार नही बनाया गया, उक्त निर्णय केवल पेडूबाई महिला पर बाध्यकारी है, उक्त निर्णय में राज्य सरकार या आम जनता या दत्तक ग्रहिता या दाता के माता/पिता या वारिसान को कोई पक्षकार नही बनाया गया, उक्त निर्णय व्यक्तिलक्षी निर्णय की परिभाषा में है, जो निर्णय केवल पेडूबाई नामक महिला के पक्षकार के सम्बन्ध में ही बाध्यकारी है तथा उक्त निर्णय इसलिये भी फर्जी कूटरचित है क्योंकि उक्त निर्णय में तथ्यों छिपाकर आदेश प्राप्त किया गया है, उक्त न्यायिक कार्यवाही में गोपाल को अविवाहित बताया गया है जबकि गोपाल उर्फ रामगोपाल विवाहित रहा है जिसकी पत्नी का नाम शान्ति है जो निर्वाचन नामावली से स्पष्ट है एवं उक्त न्यायिक कार्यवाही में गोपाल के वारिसान या पैतृक भूमि के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नही है और गोद लेने सम्बन्धी तथ्य को कही भी दर्शित नही किया गया है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि भरत द्वारा स्वयं के सभी सरकारी एवं प्राईवेट रिकार्डेड दस्तावेजात में दत्तक पुत्र गोपाल नही लिखा जाता है जबकि उसको गजानन्द का पुत्र ही दर्शित किया जाता रहा है, अन्य परिवारजन को भी इस सम्बन्ध में कोई जानकारी या सूचनाऐं नही दी गई व नही रही है कि गोपाल ने भरत को गोद लिया हो, इसलिये भरत गोपाल का दत्तक पुत्र दर्शित नही होता है और बहैसियत दत्तक के रूप में अपील दायर करने की अधिकारिता नही रखता है इसिलये अपील उक्त कानूनी बिन्दू पर ही खारिज किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि के सभी पक्षकारों को नोटिस द्वारा सूचना दी गई, अखबार में भी नोटिस जारी किये गये, तहसीलदार, पटवारी द्वारा फर्द मौका जांच वारिसान दिनांक 13.03.2018 का उल्लेख किया गया है, जो महत्वपूर्ण दस्तावेजात है क्योंकि उक्त दस्तावेजात में कई परिवारजन के हस्ताक्षर है जिसमें बद्री, छीतर ,रामलाल, रामचन्द्र इत्यादि को गोपाल का

वारिस माना है और उक्त अपीलाधीन आदेश विधि एवं नियमानुसार कार्यवाही की जाकर पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की गलती नही की गई है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 5 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 07.03.2018 के संलग्न गोपाल पि0 कल्याण का महानगर पालिका अहमदनगर महाराष्ट्र द्वारा गोपाल महाराज रामकल्याण शर्मा का मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न कर गोपाल की विरासत के नामान्तरकण खुलवाने का निवेदन किया गया है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि गोपाल पुत्र कल्याण की मृत्यु अहमदनगर में हुई है, अपीलान्ट अपने आपको गोपाल का दत्तक पुत्र बताकर आया है तो जिसके संदर्भ में अपीलान्ट ने दिवानी न्यायालय अहमदनगर के समक्ष दिवानी मुकदमा संख्या 424/2005 के निर्णय दिनांक 19.08.2008 की प्रति प्रस्तुत की गई है तथा रेस्पोडेन्ट ने अपनी लिखित बहस में अपीलान्ट को गजानन्द का पुत्र बताया है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलान्ट भी स्व. गोपाल का वारिस है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई भी साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि उपलब्ध नही है जिससे कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को किसी प्रकार का सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया हो। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.06.2018 न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण उसे उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चाकसू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.06.2018 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चाकसू जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।